REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 1775] | नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939 |
|-----------|---|
| No. 1775] | NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASADHA 2, 1939 |

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2017

**का..आ..1994(अ).-** केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

| क्र. सं. | नई राष्ट्रीय    | राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण   |
|----------|-----------------|---|
|          | राजमार्ग संख्या |   |
| (1)      | (2)             | (3)   |
| 401      | 765डी           | तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से प्रारंभ होकर (बाहरी रिंग रोड पर जंक्शन) नरसापुर, रामपुर को |
|          |                 | जोड़ने वाला और मेडक पर समाप्त होने वाला राजमार्ग  |

[सं. एनएच 14012/8/2016-पीएंडएम (पार्ट)] माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

**पाद टिप्पणी :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1796 (अ), दिनांकित 6 जून, 2017 द्वारा किया गया था।

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2017

**S.O.1994(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

## TABLE

| Serial No. | New              | Description of National Highways                                      |
|------------|------------------|---|
|            | National Highway |   |
|            | No.              |   |
| (1)        | (2)              | (3)   |
| 401        | 765D             | The highway starting from Hyderabad (junction at outer ring road)     |
|            |                  | connecting Narsapur, Rampur, and terminating at Medak in the state of |
|            |                  | Telangana.  |

### [No. NH-14012/8/2016-P&M(pt)]

# MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Footnote :** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated  $4^{\text{th}}$  April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated  $4^{\text{th}}$  April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1796 (E), dated  $6^{\text{th}}$  June, 2017.